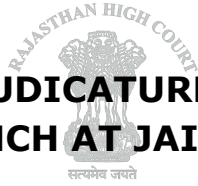


**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous II Bail Application No. 4769/2025

Irfan S/o Shri Ishak, Aged About 27 Years, R/o Kamli Giran
Purani Shivpuri, Police Station Dehat, District Shivpuri (Madhya
Pradesh) Presently Confined In District Jail Dholpur.

-----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Dheeraj Singhal
For Respondent(s)	:	Mr. Vivek Choudhary, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

08/04/2025

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना सदर धौलपुर, जिला-धौलपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 204/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 419, 420, 120-बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा 66-डी सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह द्वितीय प्रार्थना-पत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या फंसाया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी-अभियुक्त और अन्य सहअभियुक्तगण विकास और अहसान का प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08.2024 को निरस्त होने के बाद प्रकरण में अन्य सहअभियुक्त विकास और अहसान को दिनांक 27.03.2025 को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। उनका तर्क है कि प्रकरण में विकास और अहसान के विरुद्ध जो आरोप विरचित हुए हैं, उसी प्रकृति के आरोप प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध भी विरचित हुए हैं। उनका तर्क है कि प्रकरण में जो दो साक्षीगण परीक्षित हुए हैं, वे दोनों ही पुलिसकर्मी हैं। उक्त साक्षीगण ने मौके पर जाना और मौके पर अभियुक्तगण को पकड़ना कहा है,

लेकिन इस आशय की कोई रोजनामचा रपट पेश नहीं की गई है। उनका तर्क है कि प्रार्थी-अभियुक्त के खाते में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है तथा साक्षीगण ने अभियुक्तगण द्वारा एक-दूसरे के खाते में पैसे अंतरित करने का कथन किया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी-अभियुक्त से स्वयं के मोबाइल फोन के अलावा अन्य कोई मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ है। प्रार्थी-अभियुक्त दिनांक 08.06.2024 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उसके विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण की अन्वीक्षा पूर्ण होने में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने प्रकट किया कि प्रकरण में परीक्षित हुए साक्षीगण ने अभियुक्तगण को मौके पर पकड़ना कहा है तथा उनसे मोबाइल फोन भी जब्त हुआ है। उनका तर्क है कि प्रकरण की परिस्थितियों में ऐसा कोई सारवान परिवर्तन नहीं हुआ है, अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी-अभियुक्त के प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र के निरस्त होने के बाद अब प्रकरण में दो साक्षीगण परीक्षित हो चुके हैं। प्रार्थी-अभियुक्त के खाते से कोई राशि प्राप्त होना नहीं बताया गया है तथा साक्षीगण ने अभियुक्तगण द्वारा ही एक-दूसरे के खाते में पैसे अंतरित करना कहा है। प्रकरण में संलिप्त अन्य सहअभियुक्त विकास और अहसान जो कि इस न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त किए जा चुके हैं, के विरुद्ध जो आरोप विरचित किए गए थे, उसी प्रकृति के आरोप प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध भी विरचित किया जाना बताया गया है। प्रार्थी दिनांक 08.06.2024 से अभिरक्षा में है। उसके विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी-अभियुक्त इस मामले

में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का बन्ध-पत्र एवं पचास-पचास हजार रुपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

(SHUBHA MEHTA),J

NIMIT GOYAL /15